संख्या 427 / 13–XIX–2 / 40 खाद्य / 2009

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी,,
उत्तराखण्ड।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 07 अगस्त, 2013

विषयः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 राज्य में लागू किये जाने विषयक दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत का राजपत्र सं0 07, 2013 नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 05, 2013 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कम में शासन के पत्र संख्या 361 / 13–XIX–2 / 40 खाद्य / 2009 दिनांक 15.07.2013 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 को राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। अध्यादेश को राज्य में सुचारू रूप से लागू किये जाने तथा सफल क्रियान्वयन हेतु उक्त शासनादेश के कम में निम्न दिशानिर्देश दिये जाते हैः–

1– अधिनियम के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों को पूर्व की भाँति 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (10.50 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 24.50 कि0ग्रा0 चावल क्रमशः ₹ 2.00 एवं ₹ 3.00 प्रति कि0ग्रा0) की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड देय होगा। यह समस्त परिवार वहीं होंगे जिन्हें पूर्व से ही अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इन्हें पूर्व में निर्गत राशनकार्ड अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेंगे।

2– इसके पश्चात शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र प्राथमिक परिवारों (Priority Households) का चयन किया जाना है। योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुँचे इसलिये पात्र परिवारों का चयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पात्र परिवारों के चयन हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगीः–

(i) वर्तमान समस्त ग्रामीण एवं शहरी बी0पी0एल0 राशनकार्ड धारकों को अग्रिम आदेशों तक अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों के पश्चात प्राथमिक परिवारों के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। इन्हें पूर्व मे निर्गत राशनकार्ड अग्रिम आदेशों तक यथावत लागू रहेंगे। यद्यपि अध्यादेश द्वारा अन्त्योदय के अतिरिक्त प्राथमिक परिवारों हेतु प्रति यूनिट 5 कि0ग्रा0 खाद्यान्न दिये जाने का प्राविधान है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा अग्रिम आदेशों तक बी0पी0एल0 राशन कार्डधारकों को भी वर्तमान की भाँति 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न, चावल ₹ 3.00

प्रति कि0ग्रा0 एवं गेहूँ ₹ 2.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिये प्रत्येक राशन की दुकान के स्तर पर बी0पी0एल0 कार्डधारकों की यूनिटस का सत्यापन करवाते हुये वास्तविक बी0पी0एल0 यूनिटस की जनपदवार संकलित सूचना खाद्यायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करवायी जायेगी।

(ii) अवशेष पात्र प्राथमिक परिवारों के चयन हेतु मानक का विवरण पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 361/13-XIX-2/40 खाद्य/2009 दिनांक 15.07.2013 में उल्लिखित किया गया है। प्रत्येक जनपद में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों हेतु (बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय को छोड़कर) पात्र प्राथमिक परिवार वाले लाभार्थियों के लक्ष्य की अधिकतम संख्या संलग्नक-I के कॉलम- h एवं l में अंकित संख्या के अनुसार होगी। जनपद में जिलाधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार ही ब्लॉक (ग्रामीण) एवं शहरी क्षेत्र हेतु पात्र प्राथमिक परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

(iii) पात्र परिवारों के चयन की प्रकिया को प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून हो। नोडल अधिकारी निरन्तर लाभार्थियों के चयन में हुई प्रगति की कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुये जिलाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों के चयन हेतु ग्राम्य विकास अधिकारी तथा लेखपाल/पटवारी की टीम बनायी जायेगी। ग्रामवार गठित उक्त टीम द्वारा निर्धारित मानकों के दृष्टिगत चिन्हिकरण तथा निर्धारित मानक के अनुसार सत्यापन के पश्चात अवशेष पात्र परिवारों का चयन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सर्वे के आधार पर बनायी गयी अध्यावधिक ग्रामवार बी0पी0एल0 सूची में से न्यूनतम प्राप्त क्रमांक से आरोही कम में in ascending order (ग्राम के निर्धारित लक्ष्य तक) लिया जायेगा। इस प्रकार बनायी गयी Tentative सूची को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तथा सहमति के उपरान्त अन्तिम सूची बनायी जायेगी। ग्राम सभा की यह प्रकिया श्रेणी-1 अथवा श्रेणी-2 से अन्यून स्तर के अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त करते हुये करायी जायेगी। ग्राम सभा की बैठकों में पात्र परिवारों में से एक वयस्क सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा पात्रता में परिवार सम्मिलित

नहीं होगा। अन्तिम रूप से बनायी गयी ग्रामवार सूची का अंकन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मास्टर रजिस्टर, कांउन्टर रजिस्टर एवं दुकान रजिस्टर में सुस्पष्ट एवं सुपाठ्य अक्षरों में किया जायेगा।

(v) ग्राम सभा में यह प्रक्रिया श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 से अन्यून स्तर के अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त करते हुए करायी जायेगी। ग्राम सभा में बैठकों हेतु पूर्व में ही रोस्टर निर्धारित किया जायेगा, जिसका सम्यक रूप से प्रचार प्रसार किया जायेगा। खण्ड स्तर पर उक्त कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रेक्षक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) शहरी क्षेत्र में प्राथमिक/पात्र परिवारों के चयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर शहरी क्षेत्रवार खाद्य, राजस्व, स्थानीय निकाय तथा यथा आवश्यकता अन्य विभागों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुये टीमों का गठन किया जायेगा। अवशेष पात्र प्राथमिक परिवारों के चयन हेतु मानक का विवरण जो शासनादेश संख्या 361 दिनांक 15.07.2013 में उल्लिखित है के अनुसार सत्यापन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में स्थानीय निकाय स्तर पर मलिन बस्ती हेतु बनायी गयी बी0पी0एल0 सूची (ए0डी0बी0 द्वारा जारी तथा अधिशासी अधिकारियों द्वारा सत्यापित) उपलब्ध है तो उसका भी संज्ञान लिया जाय। इसी प्रकार स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जारी बी0पी0एल0 सूची तथा Socio Economic Caste Census की सूची का भी संज्ञान लिया जायेगा। इस प्रकार बनायी गयी पात्र परिवारों की सूची को सम्बन्धित नगर निकाय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर, दो सप्ताह के भीतर, आपत्ति प्राप्त करते हुये निस्तारण किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के लिये सम्बन्धित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होंगे। अन्तिम रूप से बनायी गयी क्षेत्रवार/दुकानवार सूची का अंकन जिलापूर्ति अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में मास्टर रजिस्टर, काउन्टर रजिस्टर एवं दुकान रजिस्टर में सुस्पष्ट एवं सुपाठ्य अक्षरों मे किया जायेगा।

(vii) तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों के चयन की कार्यवाही का निरन्तर अनुश्रवण करेंगे। उक्त कार्य के निर्धारित अवधि में समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी उत्तारदायी होंगे।

(viii) वर्तमान में प्रचलित अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 राशनकार्डों में इस बात का सम्भावना है कि उनमें कतिपय कार्डधारक स्थान परिवर्तन, मृत्यु अथवा उच्च

श्रेणी (ए0पी0एल0) में आ जाने के कारण पात्रता नहीं रखते। इसलिये सत्यापन के दौरान अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 राशनकार्ड धारकों का भी यथाआवश्यकता सत्यापन करवा दिया जाय। जिससे की योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को प्राप्त हो सके।

(ix) राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 को यथाशीघ्र लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलतः पात्र परिवारों के चयन का कार्य युद्ध स्तर पर करते हुये एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाय।

3— राशनकार्ड बनाये जाने की प्रकिया:—

(a) पात्र परिवार की वरिष्ठतम महिला के नाम राशनकार्ड बनाया जायेगा। किसी परिवार में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला न होने की दशा में, पुष्टि करने के उपरान्त परिवार में वरिष्ठतम् पुरूष के नाम राशनकार्ड बनाया जायेगा। ऐसे कार्ड जो पुरूष मुखिया के नाम बने हो उसका विवरण पृथक से रखा जायेगा। परिवार में महिला के अवयस्क होने की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त महिला के नाम पर ही राशनकार्ड जारी किया जायेगा।

(b) राशनकार्ड के मुद्रण का कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा। प्रथम चरण में (संलग्न–I) में जनपदों को आवंटित लक्ष्य को (अन्त्योदय यूनिटस को जोडते हुये) 5.5 परिवार की संख्या मानते हुये, से विभाजित करते हुये राशनकार्डों के मुद्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

(c) राशनकार्ड, जॉच पत्र एवं अभिलेखों का नमूना आयुक्त, खाद्य द्वारा गठित टीम के माध्यम से वित्त नियंत्रक, खाद्य को उपलब्ध कराया जायेगा।

(d) वित्त नियंत्रक, खाद्य द्वारा जनपदों को उनकी मांग के अनुसार राशन कार्ड प्रेषित किये जायेंगे, जिनका भुगतान जनपद स्तर पर उपलब्ध रिवॉल्विंग फण्ड से जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(e) उल्लेखनीय है कि विभाग में कम्प्यूटराईजेशन की कार्यवाही गतिमान है। इसलिये कम्प्यूटराईजेशन की प्रकिया को ध्यान में रखते हुये जॉच पत्र तथा अभिलेखों की प्रविष्टि में विशेष सतर्कता बरती जाय। जिससे भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न होने पावे।

उक्त प्रकिया के अनुसार पात्र प्राथमिक परिवारों के अन्तिम रूप से चयन तक वर्तमान ए0पी0एल0 राशनकार्ड धारकों को टी0पी0डी0एस0 के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार अवशेष ए0पी0एल0 राशन कार्डधारक (जो पात्र प्राथमिक परिवारों में

चयनित नही है) अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेंगे तथा इन राशनकार्डों मे चीनी एवं मिट्टी तेल पूर्व आदेशो की भॉति प्राप्त होगा। नये राशन कार्ड जारी करते समय पुराने राशनकार्ड अनिवार्य रूप से वापस लिये जायेंगे।

अध्यादेश के अनुसार जिस माह पात्र प्राथमिक परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होगा, उस माह पात्र प्राथमिक परिवारों को भत्ता देय होगा। इसलिये प्रत्येक स्तर पर निर्धारित दायित्व का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 427 / 13–XIX–2 / 40 खाद्य / 2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री जी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्री जी उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5– सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 26.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवरॉय टॉवर, माजरा, देहरादून।
7– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8– अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
10– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल सम्भाग / कुमायूँ सम्भाग, देहरादून / हल्द्वानी।
11– वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
12– महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
13– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग / कुमॉयू सम्भाग।
14– एनआईसी / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत पात्र प्राथमिक परिवारों के चयन हेतु जनपदवार शहरी एवं ग्रामीण कुल जनसंख्या (लक्ष्य)

क्र0सं0	जनपद का नाम	जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	शहरी क्षेत्र की जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	ग्रामीण				शहरी				खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जनपद में चयन हेतु कुल जनसंख्या (लक्ष्य)
					ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का 65.26 प्रतिशत	ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित अन्त्योदय यूनिटस	ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित बी0पी0एल0 यूनिटस	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चयन हेतु कुल जनसंख्या (लक्ष्य) {e-(f+g)}	शहरी क्षेत्र की जनसंख्या का 52.05 प्रतिशत	शहरी क्षेत्र में प्रचलित अन्त्योदय यूनिटस	शहरी क्षेत्र में प्रचलित बी0पी0एल0 यूनिटस	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में चयन हेतु कुल जनसंख्या (लक्ष्य) {i-(j+k)}	(h + l)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	पौड़ी गढवाल	686527	476724.349	209802.651	311110.310	63632	75760	171718.310	109202.280	1489	790	106923.280	278641.590
2	रूद्रप्रयाग	236857	164473.501	72383.499	107335.407	23109	56443	27783.407	37675.611	199	531	36945.611	64729.018
3	टिहरी गढवाल	616409	428034.410	188374.590	279335.256	120484	111590	47261.256	98048.974	296	1380	96372.974	143634.230
4	उत्तरकाशी	329686	228933.958	100752.042	149402.301	60275	64477	24650.301	52441.438	915	912	50614.438	75264.739
5	हरिद्वार	1927029	1338128.938	588900.062	873262.945	130276	141183	601803.945	306522.482	22160	25005	259357.482	861161.427
6	देहरादून	1698560	1179480.064	519079.936	769728.690	59998	150316	559414.690	270181.107	3447	11231	255503.107	814917.796
7	चमोली	391114	271589.562	119524.438	177239.348	29428	59812	87999.348	62212.470	6165	41734	14313.470	102312.818
8	नैनीताल	955128	663240.883	291887.117	432831.000	63273	62674	306884.000	151927.244	5701	10254	135972.244	442856.245
9	अल्मोड़ा	621927	431866.109	190060.891	281835.823	50032	196665	35138.823	98926.694	794	898	97234.694	132373.516
10	पिथौरागढ	485993	337473.539	148519.461	220235.232	50311	100918	69006.232	77304.379	1943	868	74493.379	143499.611
11	उधमसिंह नगर	1648367	1144626.045	503740.955	746982.957	63358	161722	521902.957	262197.167	11072	23732	227393.167	749296.124
12	बागेश्वर	259840	180432.896	79407.104	117750.508	35345	34398	48007.508	41331.398	232	740	40359.398	88366.906
13	चम्पावत	259363	180101.667	79261.333	117534.348	16127	94048	7359.348	41255.524	645	295	40315.524	47674.872
योग		10116800	7025105.921 69.44%	3091694.079 30.56%	4584584.125	765648	1310006	2508930.125	1609226.768	55058	118370	1435798.768	3944728.892